न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/351/2017

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये उपवन संरक्षक, वन विभाग, भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सम्पत देवी पत्नि रामनिवास वैष्णव बैरागी, निवासी पीसांगन, जिला अजमेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 328/2016 निर्णय दिनांक 16.9.2016

अभिभाषक : 1. श्री ओम प्रकाश सोनी , राजकीय अधिवक्ता
2.श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 16.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाजगणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा में स्थित आराजी नम्बर 759/96

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 813/95 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थीया ने खातेदार रामसिंह, किशन सिंह, पिता हेम सिंह चंदाणा राजपूत निवासी मेलावडी तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द से क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की। क्रेता का जिस जगह कब्जा था, वहीं पर प्रार्थीया काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया ने दिनांक 16.5.2016 को राजस्व नक्शा ट्रेस की नकलं प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थीया का जिस जगह पर कब्जा है वह भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होकर आराजी नम्बर 96 व 97 मीन में है व प्रार्थी की भूमि जहॉ तरमीम है वहॉ पर विपक्षी संख्या 1 की भूमि है। प्रार्थीया की कब्जेसुदा भूमि को राजस्व नक्शें की फोटो प्रति में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। अतः प्रार्थीया के कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थीया आराजी नम्बर 97 मीन व आराजी नम्बर 96 में कब्जे अनुसार तरमीम कराना चाहती है। उक्त आराजी नम्बर 95 व 96 में हाने से विपक्षी संख्या 1 की भूमि का विनिमय कर कब्जे अनुसार तरमीम की जावे। ताकि प्रार्थीया अपनी भूमि की मेडबंदी व चकबंदी कर सके। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा में स्थित हाल आराजी नम्बर 759/96 रकबा 5 बीघा 813/95 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा के राजस्व नक्शे में हुए गलत तरमीम को दुरूस्त करा कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 96 एवं 97 में तरमीम कराने हेतु तहसीलदार करेडा को आदेश प्रदान करावें। ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर विपक्षी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर क्षेत्रिय वन अधिकारी से अपील की स्वीकृति प्राप्त की गई एवं उसके बाद निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी के योग्य राजकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि वादग्रस्त आराजियात राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 18 (92) राज/3/85 दिनांक 27.2.1988 की प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत वन विभाग के नाम दर्ज करने की स्वीकृति के आधार पर उप वन संरक्षक, वन विभाग, भीलवाडा के पत्रांक एफ 12–1 (10) आश्रए/88/दिनांक 11.7.1988 द्वारा दी गई । यानि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिछले 28 वर्ष से अधिक अवधि से वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होकर वन विभाग ही उक्त भूमि का उपयोग कर रहा है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अनुसार वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वन्यत्र प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्ध किसी राज्य में तत्समय प्रर्व किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला काई आदेश केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा। (1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवर्त किसी विधि में आरक्षित वन पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जायेगा। (2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी अन्यत्र प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जावे । (3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राईवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण निगम अधिकरण या आय संगठन को जो राज्य सरकार के स्वामित्व प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाये। (4) किसी वन विभाग या इसके किसी प्रभाग से पुनर्वरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए उन वृक्षो को जो उस भूमि या भूभाग पर प्राकृतिक रूप से उग आये हैं, काटकर साफ किया जाये।

7. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर मनमकसूद तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात जो कि ग्रेनाईट भूमि क्षेत्र की भूमि है तथा गैर निगराकार संख्या 1 ने ग्रेनाईट माईंस चलाने की नियत से तथ्यों को छुपाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज योग्य है।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है इसलिए अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 96 एवं 97 जिस पर प्रत्यर्थी/प्रार्थी का कब्जा है। उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी/प्रार्थी का तत्कालीन खातेदार से क्रय करने की तिथि से ही लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जबकि राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि दर्ज नहीं होकर ग्राम बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा में स्थित हाल आराजी नम्बर 759/96 रकबा 5 बीघा 813/95 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी/प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसे विनिमय (एक्स्चेजं) कर वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का प्रत्यर्थी/प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जो विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

11. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि जो प्रत्यर्थी के नाम दर्ज करने आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है उस भूमि की किस्म

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं विनियम की जाने वाली प्रत्यर्थी/प्रार्थी की भूमि की किस्म समान होने से राज्य सरकार को कोई आर्थिक हानि भी नहीं होती है। इस बाबत तहसीलदार करेडा ने भी अपने जवाब में "वादग्रस्त आराजी नम्बर 97 के चारों तरफ पत्थरों की कच्ची चुनाई कर जो दीवार बनाई गई वह प्रत्यर्थी प्रार्थी द्वारा बनाया जाना बताया है" अंकित किया है। इससे भी वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी/प्रार्थी का कब्जा होना प्रमाणित होता है। इस तथ्य को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाजगणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा में स्थित आराजी नम्बर 59/96 रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 813/95 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थीया ने खातेदार रामसिंह, किशन सिंह, पिता हेम सिंह चंदाणा राजपूत निवासी मेलावडी तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द से क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की।

उप प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

केता का जिस जगह कब्जा था, वहीं पर प्रार्थीया काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। जिस जगह पर प्रत्यर्थी/प्रार्थीया का कब्जा है वह भूमि आराजी नम्बर 96 एवं 97 होकर उस पर विपक्षी संख्या 1 /अपीलार्थी उप वन संरक्षक, भीलवाडा के नाम दर्ज है। इसलिए प्रार्थीया के खातेदारी हक से दर्ज भूमि विपक्षी संख्या एक के नाम दर्ज की जावे एवं विपक्षी संख्या एक की वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के नाम भूमि विनिमय कर दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 96 एवं 97 जो कि वन विभाग के नाम दर्ज थी जिसमें से आराजी नम्बर 97 पर प्रार्थीया द्वारा पत्थरों की कच्ची चुनाई कर दीवार बनाने के आधार पर कब्जा मानते हुए एवं 96 पर प्रार्थीया का कब्जा मानते हुए भूमि की किस्म समान होना मानते हुए भूमि विनिमय से प्रार्थीया के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया । जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के अनुसार एक ही भूमिधारी के अधीन समान वर्ग के कारश्तकारों द्वारा भूमि विनिमय किया जा सकता है ऐसी दिशा में भूमिधारी की लिखित सहमति आवश्यक है साथ ही इसमें काश्तकारों की परस्पर सहमति भी होनी आवश्यक है। ।

14. अपीलाधीन प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वन विभाग/अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिसे इन्द्राज हुए 28 वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतित हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 96 एवं 97 जो कि अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उसकी वादग्रस्त भूमि को विनिमय किये जाने की स्वीकृति अपीलार्थी द्वारा प्रदान नहीं की गई है। जबकि भूमि के विनिमय किये जाने से पूर्व दोनों ही पक्षकारों की सहमति आवश्यक होती है। साथ ही दोनों पक्ष समान वर्ग के काश्तकार भी नहीं है। अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय की पत्रावली में भूमिधारी तहसीलदार करेडा, द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया उसमें भी अतिरिक्त कथन में यह अंकित किया गया है कि " नक्शे में उक्त आराजियात की तरमीम शुद्धि वन विभाग की सहमति होने पर ही न्यायोचित है। " अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय ने इस अतिरिक्त कथन में अंकित कथनों पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

15. वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में स्पष्ट तौर पर यह दिशा निर्देश अंकित है कि :– वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वन्यत्र प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्ध किसी राज्य में तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला काई आदेश केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा। (1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवर्त किसी विधि में आरक्षित वन पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जायेगा। (2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी अन्यत्र प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जावे । (3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राईवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण निगम अधिकरण या आय संगठन को जो राज्य सरकार के स्वामित्व प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाये। (4) किसी वन विभाग या इसके किसी प्रभाग से पुनर्वरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए उन वृक्षो को जो उस भूमि या भू भाग पर पर प्राकृतिक रूप से उग आये हैं, काटकर साफ किया जाये।" स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त दिशा निर्देश का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवलोकन किये बगैर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 12.12.1996 में वन भूमि को परिभाषित किया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के परिपत्र प.1 (53)वन/2011 जयपुर दिनांक 29 फरवरी 2012 में निर्देशित किया गया है कि :–" उपरोक्त विधिक व्यवस्था में State Govt. or other authority द्वारा भी वन भूमि का गैर वन भूमि के प्रयोग के लिए अनुमति दिया जाना प्रतिबंधित किया हुआ है। " उपरोक्त परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशों का अवलोकन किये बगैर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह खारिज योग्य पाया जाता है।

17. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.9.2016 को खारिज किया जाता है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में किये गये राजस्व रेकार्ड व नक्शे में इन्द्राज को निरस्त कर पूर्वानुसार इन्द्राज किया जावे।

18. निर्णय आज दिनांक 16.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा